

इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट प्रशासन नीति

(निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक २९ सितम्बर २००९ को मीटिंग संख्या १/२००९ में अनुमोदित)

टिप्पणी

इस नीति में निहित कोई प्रावधान यदि किसी स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम से मतभेद उत्पन्न करता है तो उस दशा में लागू स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम ही प्रभावी रहेगा।

कंपनी प्रमुख का संदेश

इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") यह मानती है कि कॉर्पोरेट प्रशासन कंपनी की विश्वसनीयता की कुंजी होता है। यह कंपनी के विकास को स्थायी व सतत रखता है और कंपनी के हितधारकों को दीर्घकालिक लाभ वृद्धि प्रदान करता है। इसका अंतिम लक्ष्य हमारे शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करना है।

यह कॉर्पोरेट प्रशासन नीति निदेशक मंडल, प्रबंधन और कर्मचारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रणाली को परिभाषित करती है।

यह कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगी कि कम्पनी के सभी निदेशकों, कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन को कॉर्पोरेट प्रशासन नीति के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए और इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए।

(प्रकाश लोहिया)

कंपनी प्रमुख

इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट प्रशासन नीति

कंपनी अपने प्रबंधन, निदेशकों और कर्मचारियों के माध्यम से अच्छे कारपोरेट प्रशासन के सिद्धांतों के अनुरूप कारोबार संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के नाते कॉर्पोरेट प्रशासन को अपनी सफलता को बढ़ाने का एक प्रमुख कारक मानती है।

कंपनी ने कॉर्पोरेट प्रशासन की अपनी नीति के कथन को थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, आर्थिक सहकारिता व विकास संगठन (ओईसीडी) के कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों के तहत अपने निदेशकों, प्रबंधन और कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु तैयार किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं

धारा 1: शेयरधारकों के अधिकार

धारा 2: शेयरधारकों का न्यायसंगत उपचार

धारा 3: अन्य हितधारकों की भूमिकाएं

धारा 4: प्रकटीकरण और पारदर्शिता

धारा 5: निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां

इस नीति को विशिष्ट और विस्तृत सामग्रियों के माध्यम से लागू किया जाएगा जोकि सभी प्रासंगिक क्षेत्रों, प्रक्रियाओं एवं लागू प्रथाओं पर प्रभावी होगी।

धारा 1: शेयरधारकों के अधिकार

शेयरधारकों के अधिकारों की सुरक्षा और सुरक्षा के महत्व को समझते हुए कंपनी ने सभी शेयरधारकों के साथ न्यायसंगत और उत्तम व्यवहार हेतु एक नीति स्थापित की है जो कि निम्नलिखित है :

(अ) शेयरधारक के अधिकारों को बढ़ावा देना

कंपनी सभी शेयरधारकों को अपने अधिकारों का न्यायसंगत तरीके से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सभी शेयरधारकों को शेयरधारकों की बैठकों में भाग लेने और निदेशक मंडल को अपने विचार और सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ब) बैठकों में शेयरधारक की उपस्थिति और मतदान की सुविधा देना

कंपनी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने में शेयरधारकों की भागीदारी और आम बैठकों में प्रस्तावों पर उनके मतदान को प्रोत्साहित करती है | सभी प्रस्ताव मतदान द्वारा पारित किये जाते हैं |

(स) शेयरधारकों की बैठक से संबंधित जानकारी देना

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि शेयरधारकों को आम बैठकों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना, आम बैठकों के लिए मानदंड और प्रक्रियाएँ और प्रत्येक प्रस्ताव के लिए आवश्यक सूचना बैठकों से पूर्व दे दी गई है। कंपनी आम बैठक के बारे में समस्त सूचनाएँ सभी शेयरधारकों को बैठक से 21 दिन पूर्व प्रदान करने का प्रयास करेगी (लेकिन 7 दिनों से कम नहीं) ताकि शेयरधारक बैठक में भाग लेने से पहले सभी जानकारी का अध्ययन कर सकें। इसके अलावा, कंपनी बैठक की सूचना भेजने से पहले कंपनी की वेब साइट पर इस सन्दर्भ में सभी जानकारी प्रसारित कर देगी।

(द) शेयरधारकों को आम बैठक में प्रश्न पूछने और अपने मत व्यक्त करने का अवसर देना

कंपनी सभी आम बैठकों में अपने सभी शेयरधारकों को प्रश्न पूछने और अपने विचार व्यक्त करने या किसी भी सुझाव की पेशकश करने का अवसर प्रदान करेगी।

धारा 2: शेयरधारकों के साथ न्यायसंगत व्यवहार

(अ) न्यायसंगत उपचार

कंपनी शेयरधारकों के साथ न्यायसंगत व्यवहार में विश्वास करती है और उन सभी को न्यायसंगत रूप से जानकारी प्राप्त करने का अवसर देती है और शेयरधारकों को निदेशकों को मनोनीत करने और कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव रखने की अनुमति देती है।

(ब) शेयरधारकों की बैठक की प्रक्रिया

ऐसे शेयरधारक जोकि व्यक्तिगत रूप से किसी बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं उन्हें कंपनी एक निर्धारित प्रपत्र द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करेगी और शेयर धारकों को कंपनी के ही किसी स्वतंत्र निदेशक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए प्राप्साहित करेगी ।

(स) कंपनी की गुप्त सूचना का प्रयोग

कंपनी के निदेशक, प्रबंधन और कर्मचारी कंपनी की कॉरपोरेट सूचनाओं (विशेष रूप से ऐसी गुप्त सूचनाएँ जो जनता को सीधी नहीं बताई जाती है) को सख्ती से गोपनीय रखने के लिए जिम्मेदार है, और गुप्त सूचना से सम्बंधित कानून और नीतियों का पालन करते हुए ऐसी सूचनाओं को अपने स्वयं के अथवा दूसरों के लाभ के लिए प्रयोग नहीं करेंगे ।

(द) हित-संघर्ष

स्टॉक एक्सचेंज आयोग के नियमों अथवा थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज या कंपनी की नीतियों के अनुसार निदेशकों, प्रबंधन और कर्मचारियों के अपने किसी भी हित का कंपनी के हित से टकराव अथवा किसी भी सम्बंधित लेन-देन की सूचना कंपनी को समय पर देनी होगी ।

धारा 3: अन्य हितधारकों की भूमिकाएं

कंपनी हितधारकों (शेयरधारक, ग्राहक, कर्मचारी, व्यापारिक भागीदारों और लेनदारों, जनता और प्रतिस्पर्धी) के उत्तम व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों का पालन करेगी। निष्पक्षता और पारदर्शिता के उद्देश्य से, कंपनी अपने हितधारकों के निम्नलिखित हितों को सम्मान देती है :

(अ) शेयरधारक

शेयरधारकों के अधिकार और व्यवहार जोकि धारा 1 और 2 में वर्णित हैं।

(ब) ग्राहक

कंपनी अपने ग्राहकों के साथ अपने दीर्घकालिक और निष्ठावान संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने का प्रयास करेगी। हम उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करके प्रसन्नता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर सर्वोत्तम तरीके से पूरी करते हैं और हम अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं के बारे में अपने ग्राहकों को सही सूचना प्रदान करके उन्हें अपनी उच्च स्तर की सेवा देते हैं।

कंपनी का मानना है और प्रयास है कि कंपनी के संचार चैनल ग्राहकों की प्रतिपुष्टि हेतु सतत रूप से खुले रहें।

(स) कर्मचारी

कंपनी के सभी कर्मचारियों को मूल्यवान सम्पदा माना जाता है जोकि संगठन और उसकी सहायक कंपनियों के विकास व लाभप्रदता के लिए आवश्यक पहलू है। हम कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अत्यधिक जोर देते हैं और उन्हें एक अनुकूल और गुणवत्ता उन्मुख कार्य वातावरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हम रोजगार के अवसरों में सभी कर्मचारियों को रोजगार और उत्तम प्रतिफल निष्पक्षता के साथ देते हैं।

कंपनी अपने कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और क्षमता के विकास को महत्व देती है, और कार्य हेतु ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करती है जो विविधता में समृद्ध है और उच्च प्रदर्शन वाले कर्मचारियों को आकर्षित करती है और स्थायित्व प्रदान करती है।

(द) व्यावसायिक भागीदार और लेनदार

हमारा मानना है कि हमारे व्यापारिक भागीदारों और लेनदारों के पास हमारे व्यापार की पूरी समझ होना महत्वपूर्ण है ताकि हम स्पष्ट, दीर्घकालिक और भरोसेमंद संबंध स्थापित कर सकें।

कंपनी अपने व्यापार भागीदारों के साथ उत्तम निष्पक्ष अनुबंध करने का प्रयास करती है और उसमें लिखे नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन किया जाता है और अपने लेनदारों को पूरी और सही वित्तीय जानकारी प्रदान की जाती है।

(य) जनता (समाज और पर्यावरण)

कंपनी अपने व्यवसाय एवं परिचालनों से जुड़े लोगों के जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और समाज की सुरक्षा पर ध्यान देती है और सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करने का प्रयास करती है।

कंपनी पर्यावरण और समाज का समर्थन और देखभाल करने वाली सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती है और उन सभी संस्कृतियों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है, जिनमें वेह काम करती है।

कंपनी ऐसे तरीके से कचरे का निपटारा करती है जिसका कि समाज, पर्यावरण और लोगों पर कम से कम प्रभाव पड़े।

(र) प्रतिद्वन्दी

कंपनी अपने प्रतिद्वन्द्वियों से सम्बंधित नियमों के अनुरूप कार्य करेगी और उनसे उत्तम व्यवहार करेगी तथा बाजार के विकास और उद्योग जगत के लाभ की दिशा में काम करेगी।

धारा 4: प्रकटीकरण और पारदर्शिता

(अ) सूचना का प्रकटीकरण

कंपनी अपने संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा आवश्यक समय पर सटीकता और पारदर्शिता के साथ करेगी।

(ब) शेयरधारकों / निवेशकों के साथ संबंध

कंपनी के निवेशक-संबंध-अधिकारी कंपनी के संस्थागत और अल्पसंख्यक निवेशकों के साथ संवाद करेंगे। कंपनी अपने व्यवसाय-प्रदर्शन को प्रस्तुत करने के लिए नियमित व्यवसाय-विश्लेषण बैठकें आयोजित करेगी।

(स) निदेशक सूचना

कंपनी अपने प्रत्येक निदेशक के बारे में और निदेशक मंडल और इसकी समितियों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट (फॉर्म 56-2) और वार्षिक पंजीकरण फॉर्म (फॉर्म 56-1) द्वारा करेगी।

(द) वित्तीय सूचना

कंपनी अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति और व्यावसायिक निष्पादन का प्रदर्शन करने वाली वित्तीय सूचनाओं के प्रकाशन की आवश्यकता पर जोर देती है जोकि सही, पूर्ण, पर्याप्त लेखा सूचना एवं स्वीकार्य लेखा मानकों के अनुपालन पर आधारित हो।

(य) निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट (फॉर्म 56-2) और वार्षिक पंजीकरण फॉर्म (फॉर्म 56-1) में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक का खुलासा करेगी।

धारा 5: निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल का यह दायित्व है कि वे सभी लागू कानूनों के अनुसार कार्य करें और इस कॉर्पोरेट प्रशासन नीति का कार्यान्वयन हो ।

इस संबंध में निदेशक मंडल यह भी सुनिश्चित करेगा कि आचार संहिता, बोर्ड चार्टर, स्पष्ट चार्टर के साथ उचित बोर्ड समितियां (जैसे ऑडिट, मुआवजा आदि), स्पष्ट चार्टर के साथ उचित गैर-बोर्ड समितियां (जैसे जोखिम प्रबंधन) और उनकी जिम्मेदारियों (जैसे निर्देशक पुस्तिका, प्रशिक्षण, आदि) के प्रदर्शन के लिए अन्य विशिष्ट कथन अपना निश्चित कार्य करें | निदेशक मंडल अपने कार्य प्रदर्शन का वार्षिक आत्म-आकलन भी करेगा |